

speed post

357822105
XOP

Telephone-2223251
2225766, 2224812



Fax: 0612-2225977
Gram: ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. SSA-Pen-09- 35

Date 04/09/2018

To

The (PR.) Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh
Saifabad, Hyderabad-500004

PM-S

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No. - वि०(२७) पी० की० - २४/२०१८-६५४, पटना

दिनांक - ०८.०८.२०१८ (०१.०१.२०१६ के पूर्व के पेंशनरी/प० पेंशनरी का पेंशन पुनरीक्षण का कार्य महालेखाकार, बिहार के स्तर से किया जायेगा।)

14/9

525281
14/9/18
Sir.

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all Treasuries/ Banks in your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

12 SEP 2018
Andhra Pradesh & Telangana
Hyderabad - 500 004.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna.

11/06/18

Transferred to PM
for n.a.

AAO PM-AP

TR 148
10-10-18

बिहार सरकार

वित्त विभाग

Dr. No- Pen-01 Gen- 756 (2018-19)
संकल्प

विषय :- वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार(बैंक/कोषागार) के स्थान पर महालेखाकार, बिहार को सौंपने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 द्वारा दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को सप्तम राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के तहत पेंशन पुनरीक्षण के कार्य का दायित्व पेंशन वितरण प्राधिकार (कोषागार/बैंक) को दिया गया है।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 में पेंशन पुनरीक्षण हेतु दो सूत्रों का उल्लेख करते हुए इनमें से जो अधिक हो, उसे ही अंतिम पेंशन निर्धारित करने का प्रावधान है। द्वितीय सूत्र के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन प्रदायी बैंकों द्वारा कर दिया गया है। प्रथम सूत्र के क्रियान्वयन में बैंकों के स्तर पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। अतः दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण में आ रही समस्याओं के निराकरण का मामला सरकार के विचाराधीन था ताकि उक्त संकल्प के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का लाभ शीघ्र ही पेंशनरों को मिल सके।

3. सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 के आलोक में दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/कोषागार) के जगह महालेखाकार, बिहार के स्तर से सम्पन्न होगा। महालेखाकार, बिहार अपने अभिलेखों अथवा आवश्यक होने पर सेवानिवृत्त कर्मी के संबंधित कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त कर पुनरीक्षित प्राधिकार निर्गत करेंगे।

4. आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

Pen-Dr

100813H0348

R-126/18-19
10/08/18

.....2

CR
Immediate
10/8/18